



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

कार्यालय परिसर, ब्लॉक नं.ए-4, गौतम नगर,भोपाल – 462 023.

दूरभाष नं. 0755-2583627 / 2583673 फ़ैक्स नं.2583656

कर्मोंक/रागांप्रौवि/शैक्ष./सम्बद्धता/अधिसूचना-21/2021/ACD/Q-01

/भोपाल, दिनांक 18.05.

2021

// अधिसूचना //

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन एनआरआई इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड टेक्नालाजी, 3 सज्जन सिंह नगर, पटेल नगर के पीछे, रायसेन रोड, भोपाल- 462022 को अंगीकार करते हुए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये निम्नोक्त पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख उल्लेखित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधि	पारी (SHIFT)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदनानुसार प्रवेश क्षमता
1	दो वर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी	नियमित	60

उपरोक्त पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय को अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों तथा निरीक्षण के दौरान बताई गई कमियों की प्रतिपूर्ति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 माह के अंदर, आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को प्रदान की गई सशर्त अस्थाई सम्बद्धता को वापस लेने का अधिकार होगा। अतः जिसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय की होगी व हानि के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा।

अधिसूचना में वर्णित निम्नांकित शर्तों की प्रतिपूर्ति करने की शर्त के साथ महाविद्यालय को सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। (निर्धारित समय में संस्था को पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा)

- महाविद्यालय को सशर्त अस्थाई सम्बद्धता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदनानुसार तथा निरीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार प्रदान की जाती है।
- महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के परिनियम-29 एवं 30 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं मानक की प्रतिपूर्ति के सत्यापन हेतु महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा।
- महाविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा समय-समय पर निजी पोली. महाविद्यालयों हेतु निर्धारित समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- समय-समय पर संस्था की गर्वनिंग बाडी की बैठक का आयोजन कर बैठक का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डिप्लोमा विंग को बैठक की पूर्व सूचना 15 दिन पूर्व भेजना अनिवार्य होगा ताकि उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थिति हो सके।
- महाविद्यालय को चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की आय-व्यय की विवरणी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- शैक्षणिक स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को पूरा करना अनिवार्य है।
- महाविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित समस्त प्रावधानों, पढ़ाई एवं परीक्षा योजना तथा पाठ्यचर्या का पालन करना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय के निरीक्षण दल द्वारा संस्था के निरीक्षण पश्चात् प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में बताई गई कमियों की प्रतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में निम्नांकित प्रोफार्मा में विश्वविद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु एतदसह संलग्न है।

स.क्र.	संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार परिशोधित होने वाली कमियाँ	महाविद्यालय द्वारा कमियों को परिशोधित करने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी
10.	महाविद्यालय की प्रयोगशाला,स्थान,फर्नीचर,उपकरण, शिक्षक व अन्य स्टाफ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों/मानदण्डों के अनुसार सुसज्जित होना अनिवार्य है और सभी शिक्षकों के रिकार्ड फोटो भी रखना अनिवार्य है।	

11. महाविद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों/सामग्री का संकलन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप/वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप होना अनिवार्य है ।
12. स्टाफ/शिक्षकों को भुगतान बैंक द्वारा/या ड्राफ्ट द्वारा करना होंगे ।

कृ.पृ.उ.

- / 2 / -

13. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त शुल्क महाविद्यालय के सूचना पटल पर विद्यार्थियों प्रदर्शित करें और तदनुसार शुल्क लेवें तथा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रसीद छात्रों को देवें ।
14. महाविद्यालय में शिक्षक/प्राचार्य की नियुक्ति पूरे समय के लिये नियमित तौर पर की जानी चाहिए और वे छात्र/छात्राओं के अध्यापन को उपलब्ध रहना चाहिएं । शिक्षक/प्राचार्यों की चयन समिति में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डिप्लोमा के सचिव व उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
15. आगामी वार्षिक सम्बद्धता के लिए आवेदन कुलसचिव को उस शैक्षणिक वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व दिया जावे ।
16. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक दिग्दर्शिका का पालन करना अनिवार्य होगा ।
17. संस्था में **Swage Treatment Plant** स्थापित कराना अनिवार्य होगा ।
18. संस्था में **Solid Waste Management** की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।
19. संस्था में **Rain Water Harvesting** का प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा ।
20. संस्था में **Gender sensitivity plan** की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।
21. संस्था में पढ़ रहे प्रत्येक छात्र के अनुपात से पौधा रोपित कराना अनिवार्य होगा ।
22. शैक्षणिक सत्र 2022 के पूर्व संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का एन0बी0ए0(NBA) द्वारा ऐक्रेडियेशन किया जाना अनिवार्य होगा ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

सचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल ।

पृ. क्रमोंक/रागांप्रौवि/शैक्ष./सम्बद्धता/अधिसूचना-21/2021/ACD/Q-02

/भोपाल, दिनांक 18.05.

2021

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, एनआरआई इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड टेक्नालाजी, 3 सज्जन सिंह नगर, पटेल नगर के पीछे, रायसेन रोड, भोपाल- 462022 मध्यप्रदेश ।
2. सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, चौथी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, एआईसीटीई, क्षेत्रीय कार्यालय, टैगोर छात्रावास, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
5. निज सचिव, मान.कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ ।
6. परीक्षा नियंत्रक, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल ।
7. सचिव, पत्रोपाधि प्रभाग, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गौतम नगर, भोपाल
8. प्रभारी अधिकारी(परीक्षा/मूल्यांकन/शैक्षणिक/डिप्लोमा अनुविभाग)पत्रोपाधि प्रभाग आरजीपीव्ही, गौतम नगर, भोपाल ।

सचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल ।